

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 21, बुधवार, १९४७- नवम्बर 12, 2025 Kartika 21, Wednesday, Saka 1947- November 12, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 04, 2025

जी.एस.आर.97 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 2(9)वित्त/कर/2021-115 दिनांक 30.09.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

नथमल डिडेल,

संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 30, 2025

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2025-110 दिनांक 19.02.2025 में, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति "30.09.2025 को या से पूर्व" के स्थान पर अभिव्यक्ति "31.12.2025 को या से पूर्व" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.प.2(9)वित्त/कर/2021-115]

राज्यपाल के आदेश से,

नथमल डिडेल,

संयुक्त शासन सचिव"